Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 72/2025

श्री बिपिन चन्द्र तिवारी
मै0 इनड्स टावर लिमिटेड
निवासी– एस्कोटेल मोबाईल कारपोरेशन लिमिटेड,
जफर हॉल, मसूरी।

परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (उत्तर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

विपक्षी

कोरम

दिनांक: 31.10.2025

श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

The complainant has registered the instant complaint on account of excessive maximum demand being charged by UPCL. The Complainant submits and prays as under:-

*We have permanent electric connection having account number 40117090241, 20KW connected load in the name of Indus Towers Limited at location- Mussoorrie under EDD, Dehradun North, divison. Issued bill for the month of April-25, in which abnormal maximum demand for 178.64 KW shown & wrongly excess demand charges levied for*

*the unjustified amount Rs. 34,900.80/- our connected load was never exceed beyond the connected load. We have multiple times approach to division for correction of wrongly excess demand charge but neither bill is corrected, nor MRI report is providing to us. Energy bills are continue generating and wrongly late payment surcharges are also claiming. Therefore, we request you to kindly register our grievance before your kind level forum and provide us justice. Bill correction not done by the divison and new bill also generated hence no late payment surcharge need to be claim from us. Necessary compensation also need to be provide us as we are mentally harassed by the Discom.*

उपरोक्त के सन्दर्भ में विपक्षी अधिशासी अभियन्ता ने आख्या पत्रांक 4186, दिनांकित 28/10/2025 से मंच को अवगत कराया गया है कि *"उपभोक्ता द्वारा माह अप्रैल 2025 के बीजक में Maximum Demand (MD) अधिक अंकित होने के संदर्भ में वाद दायर किया गया है। उपभोक्ता के बीजकों की हिस्ट्री रिर्पोट एवं बीजकों का अवलोकन करने पर सज्ञान मे आया कि सिस्टम में त्रुटि होने के कारण माह अप्रैल 2025 के बीजक में MD गलत अंकित हो गयी है तथा एम.आर.आई. से स्पष्ट है कि माह अप्रैल 2025 की कुल MD 10.46 है। अत: उपभोक्ता के अप्रैल 2025 के बीजक मे अधिकतम माग खपत धनराशि को संशोधित करते हुए वर्तमान विद्युत बीजक में रू0 34900.80 का समायोजन किया जा रहा है।"*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail - cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध परिवादी के शिकायती पत्र के क्रम में विपक्षी ने अपनी आख्या के माध्यम से मंच को अवगत कराया है कि सिस्टम में त्रुटि होने के कारण माह अप्रैल 2025 के बीजक में MD गलत अंकित हो गयी थी तथा एम.आर.आई. के अनुसार MD 10.46KW थी। उपरोक्तानुसार परिवादी के वर्तमान विद्युत बीजक में रू0 34900.80 का समायोजन कर विद्युत बिल संशोधित कर कर दिया गया है। उपरोक्त परिस्थितियों में उक्त वाद आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

## आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। ***इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं।***

पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(दीपक फरस्वाण) 31/10/25
उपभोक्ता सदस्य

(रजनीश माथुर) 31/10/25
तकनीकी सदस्य

.Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
W.C.V.Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135: 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण म
(गढ़वाल क्षे
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 248(
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 27619
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767:
ई–मेल cgrfgz@gmail.cor

परिवाद सं0 63/2025

श्री बिपिन चन्द्र तिवारी
मै0 इनड्स टावर लिमिटेड
निवासी– नियर पुलिस चौकी,
इंदिरा नगर, देहरादून।

परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (दक्षिण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

विपक्षी

कोरम

दिनांकः 21.10.2025

श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

The complainant registered the complaint requesting to get amended inflated electricity bill on account of wrong levy of low power factor surcharge.

The complainant submits and prays as under :-

*We have permanent electric connection having account number 40117784721, 23KW connected load in the name of Indus Towers Limited at location- Indira Naga, under Dehradun South, Diviso.Issued bill for the month of May-25, in which concocted KVAH*

*punched & wrongly low factor surcharge levied for the unjustified amount Rs- 5,019.68/- We don't have any motive load connected at premise, our average power factor is always beyond 95%. We have multiple times approach to division for correction of wrongly charges PF surcharge but neither bill is corrected,nor MRI report is providing to us. Energy bills are continue generating and wrongly late payment surcharges are also claiming. Therefore, we request you to kindly register our grievance before your kind level forum and provide us justice. Bill correction not done by the divison and new bill also generated hence no late payment surcharge need to be claim from us. Necessary compensation also need to be provide us on account of mentally harassed to us."*

*उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी अधिशासी अभियन्ता ने आख्या पत्रांक 2351 दिनांकित 26/09/2025 से मंच को अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता के संयोजन स0 SD0K000021732 पर लगे Power Factor Surcharge को माह सितम्बर 2025 के बिल में समायोजित कर दिया गया है।*

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध परिवादी के शिकायती पत्र के क्रम में विपक्षी ने अपनी आख्या के माध्यम से मच को अवगत कराया है कि विद्युत संयोजन सख्या SD0k000021732 पर लगे Power Factor Surcharge को घटाकर माह सितम्बर 2025 के बिल में समायोजित कर दिया गया है।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135-2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

उपरोक्त चर्चा उपरान्त मंच इस मत का है कि विपक्षी द्वारा परिवादी के विद्युत बिल संबंधी शिकायत का निवारण विद्युत बिल संशोधित कर कर दिया गया। उपरोक्त परिस्थितियों में उक्त वाद आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

## आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। *इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंन्त विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं।*

पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

21/10/2025

(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

21/10/25

(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135-2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण म
(गढ़वाल क्षे
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 2480
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 27619
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 62/2025

श्री बिपिन चन्द्र तिवारी — परिवादी
मै0 इनड्स टावर लिमिटेड
निवासी– मकान सं0 61,
नियर एस.बी.आई. ए.टी.एम
पण्डितवाडी, देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (दक्षिण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांकः 21.10.2025
श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

The complainant registered the complaint requesting to get amended inflated electricity bill on account of wrong levy of low power factor surcharge.

The complainant submits and prays as under:-

"*We have permanent electric connection having account number 42400357522, 05KW connected load in the name of Indus Towers Limited at location- Panditwari, under*

*Dehradun South, Divison. Issued bill for the month of August-25, in which concocted KVAH punched & wrongly low factor surcharge levied for the unjustified amount Rs-4,475.86 /-. We don't have any motive load connected at premise, our average power factor is always beyond 95%. We have multiple times approach to division for correction of wrongly charges PF surcharge but neither bill is corrected,nor MRI report is providing to us. Energy bills are continue generating and wrongly late payment surcharges are also claiming. Therefore, we request you to kindly register our grievance before your kind level forum and provide us justice. Bill correction not done by the divison and new bill also generated hence no late payment surcharge need to be claim from us. Necessary compensation also need to be provide us on account of mentally harassed to us."*

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 886, दिनांकित 29/09/2025 से मंच को अवगत कराया गया है कि मै0 इनडस् टावर लिमिटेड , निवासी– मकान सं0 61, नियर एस0बी0आई0 ए.टी.एम– देहरादून के विद्युत बिलों में से Low Power Factor Surcharge संशोधित कर दिया गया है.।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध परिवादी के शिकायती पत्र के क्रम में विपक्षी ने अपनी आख्या के माध्यम से मच को अवगत कराया है कि विद्युत संयोजन संख्या SD66336319248 पर लगे Power Factor Surcharge को घटाकर संशोधित कर दिया गया है।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

उपरोक्त चर्चा उपरान्त मंच इस मत का है कि विपक्षी द्वारा परिवादी के विद्युत बिल संबंधी शिकायत का निवारण विद्युत बिल संशोधित कर कर दिया गया। उपरोक्त परिस्थितियों में उक्त वाद आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

## आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। *इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंन्त विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं।*

पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

21/10/2025

(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

21/10/25

(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V.Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मं
(गढ़वाल क्षे
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 2480
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 61/2025

श्री बिपिन चन्द्र तिवारी — परिवादी
मै0 इनड्रा टावर लिमिटेड
निवासी– गॉव–कोठारी मोहल्ला,
पो0ओ0– जौलीग्रांट, देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (डोईवाला)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांक: 21.10.2025
श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फररवाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

The complainant registered the complaint requesting to get amended inflated electricity bill on account of wrong levy of low power factor surcharge.

The complainant submits and prays as under:-

*"We have permanent electric connection having account number 41601169086, 5KW connected load in the name of Indus Towers Limited at location- vill Kothari Mohalla*

*P.O. Jolly Grant, under Doiwala, divison. Issued bill for the month of Aug-25, in which concocted KVAH punched & wrongly low factor surcharge levied for the unjustified amount Rs- 3,312.35/- We don't have any motive load connected at premise, our average power factor is always beyond 95%. We have multiple times approach to division for correction of wrongly charges PF surcharge but neither bill is corrected,nor MRI report is providing to us. Energy bills are continue generating and wrongly late payment surcharges are also claiming. Therefore, we request you to kindly register our grievance before your kind level forum and provide us justice. Bill correction not done by the divison and new bill also generated hence no late payment surcharge need to be claim from u.s Necessary compensation also need to be provide us on account of mentally harassed to us."*

उपरोक्त के सन्दर्भ में विपक्षी अधिशासी अभियन्ता ने आख्या पत्रांक 2821, दिनांकित 27/09/2025 से मंच को अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता को ई–मेल आईओडी0 (BPINCHANDRA.TIWARI@INDUSTOWERS.COM) पर प्रेषित कर दिया गया है।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध परिवादी के शिकायती पत्र के क्रम में विपक्षी ने अपनी आख्या के माध्य से मंच को अवगत कराया है कि विद्युत संयोजन सख्या

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail - cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि०क्रॉ०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

DW64206100916 का माह 08/2025 में निर्गत त्रुटिपूर्ण मासिक बिल संशोधित कर दिनांक 16.07.2025 से दिनांक 27.09.2025 तक की अवधि का बिल उपभोक्ता को ई–मेल पर प्रेषित कर दिया गया है।

उपरोक्त चर्चा उपरान्त मंच इस मत का है कि विपक्षी द्वारा परिवादी के विद्युत बिल संबंधी शिकायत का निवारण विद्युत बिल संशोधित कर कर दिया गया। उपरोक्त परिस्थितियों में उक्त वाद आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

## आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। *इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंन्त विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं।* पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

21/10/2025

(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

**Electricity Consumer Grievance Redressal Forum**
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 60/2025

श्री राकेश्वर पोखरियाल — परिवादी
निवासी– 01 अपर माडुवाला,
पो0ओ0 माण्डुवाला, प्रेमनगर,
देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (मोहनपुर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांक: 31.10.2025

श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

The complainant registered the instant complaint on account of excessive fixed/demand charges being charged by UPCL.

*The Complainant submits and prays as under:-*

1. *"That, I Rakeshwar Pokhriyal ("undersigned" is a resident of 01 upper Manduwala post office Manduwala, Prem Nagar, Dehradun Uttarakhand,248007. The*

*undersigned holds an Uttarakhand Power Corporation Limited ("UPCL" electricity connection number MP11516098505.*

2. *It is brought to your kind cognizance that an arbitrary and excessive "fixed charges fixed/demand charges for contr. load @0-1 @Rs. 75.0/KW, 2-4 @Rs. 85.0/KW, 5-above @ Rs. 100.0/KW" of INR 900/- is being charged on the connection of the undersigned, despite having a negligible electricity usage.*

3. *From the above, it is evident that arbitrary and excessive "fixed/demand charges for contr. load @0-1 @ Rs. 75.0/KW, 2-4 @Rs. 85.0/KW, 5-above @ Rs. 100.00/KW" are being charged from the consumers. It is pertinent to note that in the Kanswali Kodari, area where the undersign resides, the electricity service provided by UPCL is substandard, inasmuch as the voltage supplied is insufficient to safely operate minimum appliances such as refrigerators or televisions, putting them at the risk of damage due to insufficient/sudden spike in voltage.*

4. *Further, it merits to be noted that for electricity bill numberM75840269 (at Sr 5 in the table above), the metered unit is 178KWH/0KVAH. Further the 'present reading KWH/KVAH' clearly read as NA, meaning that no reading has been taken for that*

*period. Yet, somehow the undersigned is being arbitrarily charged energy charges to the tune of INR 721.06/-.*

5. *Given the above circumstance, it is stated that the " fixed/demand charges for contr. load @0-1 @Rs.75.0/KW, 2-4 @Rs. 85.0/KW, 5- above @ Rs. 100.0/KW" are being arbitrarily charged, especially when the voltage supplied to the area is not at par with the minimum standards for safe operation of electrical appliances.*
6. *Furthermore, the voltage supplied to the area is sub-par and forcing customers like the undersigned to incur additional costs for installing voltage stabilizers, simply because of the lack of quality service.*
7. *Furthermore, when the service and voltage is sub-par, the fixed charges are unjustified and must be removed.*
8. *Accordingly, it is requested that the electricity charges be re-determined by excluding the "fixed/demand charges for contr. load @0-1 @ Rs. 75.0/KW, 2-4 2 rs. 85.0/KW, 5- above @ Rs. 100.0/KW" and liablity accordingly reduced."*

*उपरोक्त के सन्दर्भ मे विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 1167 दिनांकित 29/09/2025 से मंच को अवगत कराया गया है कि विद्युत उपभोक्ता श्री राकेश्वर पोखरियाल, निवासी– 01 अपर गाण्डुवाला प्रेमनगर पो0ओ0*

*माण्डुवाला प्रेमनगर, देहरादून के विद्युत संयोजन संख्या MP11516098505 के बीजक में स्वीकृत भार/संयोजित भार के आधार पर ही फिक्स डिमाण्ड चार्ज लिया जा रहा है।*

उक्त के संबंध में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 1327 दिनांकित 29/10/2025 से मंच को अवगत कराया गया है कि "उपभोक्ता के विद्युत संयोजन संख्या MP11516098505 के अधिकतम विद्युत भार की मांग एवं वास्तविक उपभोग की गणना हेतु उपभोक्ता परिसर पर चैक मीटर स्थापित किया गया जो कि दिनाक 25.10.2025 को उपभोक्ता के सम्मुख उतारा गया जिसमें कोई भिन्नता नहीं पायी गई है, जिसके आधार पर स्पष्ट है कि उपभोक्ता को उपलब्ध बीजक उपभोग यूनिट व विद्युत भार के आधार पर निर्गत किये जा रहे है तथा साथ ही आपके संज्ञान में यह भी लाना है कि सम्बन्धित क्षेत्र में परिवर्तक स्थापना हेतु इस कार्यालय द्वारा प्राक्कलन अग्रिमं कार्यवाही हेतु अग्रेशित किया जा चुका है जिसकी प्रक्रिया गतिमान है, परिवर्तक स्थापना किये जाने पर क्षेत्र में लोवोल्टेज की समस्या का निदान हो जायेगा।"

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों से स्पष्ट है कि परिवादी का भार 9 KW है जिसके सापेक्ष विपक्षी द्वारा नियमानुसार रू0 900 fixed charges चार्ज किये जा रहे है। Check Meter report के अनुसार स्थापित मीटर भी ठीक है। इसके अतरिक्त विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 1327, दिनांकित 29/10/2025 से मंच को अवगत कराया गया है कि कि *"सम्बन्धित क्षेत्र में परिवर्तक स्थापना हेतु इस कार्यालय द्वारा प्राक्कलन अग्रिम कार्यवाही हेतु अग्रेशित किया जा चुका है जिसकी प्रक्रिया गतिमान है, परिवर्तक स्थापना किये जाने पर क्षेत्र में लोवोल्टेज की समस्या का निदान हो जायेगा।"*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001

Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001

दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

उपरोक्त चर्चा उपरान्त मंच इस मत का है कि नया परिवर्तक स्थापित होने के उपरान्त अनियमित वोल्टेज की शिकायत का निवारण स्वत: हो जाएगा।

मंच का मानना है कि विपक्षी द्वारा संबंधित क्षेत्र में अनियमित वोल्टेज की शिकायत के निवारण हेतु उचित कदम लिये गये है तथा परिवर्तक स्थापना हेतु प्राकक्लन अग्रिम कार्यवाही हेतु अग्रेशित किया जा चुका है जिससे परिवादी की समस्या का निवारण पूर्णतः हो जाएगा।

अतः उपरोक्त परिस्थितियों में उक्त वाद आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। वाद निरस्तारित किये जाने योग्य है।

## आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया किया जाता है कि प्रस्तावित परिवर्तक की स्थापना हेतु प्राक्कलन को अतिशीघ्र पास कराकर नया विद्युत परिवर्तक स्थापित करने की कार्यवाही को युद्धस्तर पर सम्पादित करे जिससे क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं की अनियमित वोल्टेज जैसी समस्याओं का समाधान हो सके। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

31/10/25
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

31/10/25
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001

Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail - cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि०क्रॉ०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून - 248001

दूरभाष: 0135-2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135-2763672-75 फैक्स-0135-276739
ई-मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं० 59/2025

श्री अनुज कुमार , पुत्र श्री सतीश कुमार, — परिवादी
ग्राम—नागाघेर,(शांतिनगर)
पो०आ० रानीपोखरी,देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड,(डोईवाला)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
डोईवाला।

कोरम — दिनांक: 30.10.2025

श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

## निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उनके विद्युत संयोजन निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि *"प्रार्थी मूल रूप से (शांतिनगर) रानीपोखरी ग्रान्ट का मूल निवासी है, तथा कई वर्षो से शांतिनगर में निवास कर रहे है। पहले हम लोग कच्ची झोपड़ी बना कर रह रहे थे, परन्तु अब हम लोग पूरे परिवार के साथा पक्का मकान बना कर निवास कर रहा हूँ, पर उक्त भूमि पर जमीन सम्बन्धी कोई भी दस्तावेज न होने के कारण मेरा विद्युत कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, जबकि विद्युत लाईन हमारे बगल से जा रही है, और अडोस—पडोस में सभी लोगो के बिजली के कनेक्शन हो रखे है। मैं स्वय बैटरी किराए पर चार्ज करवा कर अपना जीवन यापन कर रहा हूँ, जो कि प्रार्थी को काफी खर्चा व समय बर्बाद हो रहा है, मेरे छोट—छोटे बच्चे होने के कारण बहुत परेशानी उठानी पड रही है।*

11

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि०क्रॉ०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

*अतः सभी मेरी उपरोक्त बातों को अपने सज्ञान में लेकर प्रार्थी का विद्युत कनैक्शन करवाने की महती कृपा करें"*

उपरोक्त के सन्दर्भ में विपक्षी अधिशासी अभियन्ता ने आख्या **पत्रांक 2820, दिनांकित 27/09/2025** से मंच को बिन्दुवार आख्या से अवगत कराया गया है "कि शिकायकर्ता द्वारा साम्बन्धित उपखण्ड कार्यालय में अतिथि तक भी नये *संयोजन हेतु कोई आवेदन नहीं किया गया है। ग्राम प्रधान–रानीपोखरी द्वारा अपने पत्रांक 114, दिनांक 24.04.2025 के माध्यम से मा०मुख्यमंत्री महोदय एवं पत्रांक 139, दिनांक 22.05.2025 द्वारा उपजिलाधिकारी, ऋषिकेश को अपने ग्राम सभा क्षेत्र में अवैध अतिक्रगणधारियों को बिना आवश्यक दस्तावेज के विद्युत संयोजन निर्गत न करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है।*

*इसके अतिरिक्त पूर्व में श्री सुधीर रतूड़ी, ग्राम प्रधान–रानीपोखरी के प्रार्थना पत्र के आधार पर उपजिलाधिकारी ऋषिकेश द्वारा दिनांक 09.03.2025 को उक्त क्षेत्र में अवैध कब्जाधारियों को बिजली एवं पानी के संयोजन निर्गत न करने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया है।*

*सन्दर्भित प्रकरण में उपखण्ड कार्यालय, जौलीग्रान्ट द्वारा नये संयोजन के निर्गमन से पूर्व भूमि से सम्बन्धित स्थल का सरकारी भूमि पर अतिक्रमण होने अथवा न होने से सम्बन्धित जॉच हेतु उपजिलाधिकारी ऋषिकेश को पत्र प्रेषित किया गया है, जिसकी जॉच आख्या अतिथि तक भी प्राप्त नहीं हुई है।*

*अतः इस सम्बन्ध में आपको अवगत कराना है कि उपजिलाधिकारी, ऋषिकेश द्वारा नये संयोजन के निर्गमन में भूमि से सम्बन्धित अपनी आख्या उपलब्ध कराने के उपरान्त ही विभागीय नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जानी संभव होगी।"*

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध परिवादी के शिकायती पत्र से स्पष्ट है कि उनके द्वारा विपक्षी के कार्यालय में विद्युत संयोजन हेतु आवेदन किया गया था, परन्तु उपजिलाधिकारी की जॉच आख्या के अभाव में विवादित परिसर में नया विद्युत संयोजन विपक्षी द्वारा निर्गत नहीं किया जा रहा है।

यहा पर माननीय् उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के विनियम **UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020** के विनियम

**3.3.2(4)(a)(i)** के द्वितीय परन्तुक का उल्लेख समीचीन होगा– "Provided further that where the applicant is unable to submit the documents mentioned at a) to e) above and objection has been raised on the premises by District Magistrate/Government Authorities/ Government under whose jurisdiction premises falls, the Licensee shall not grant new conncetion to such Applicant."

[Emphasis Added]

विपक्षी द्वारा माननीय् आयोग के उपरोक्त विनियम के आलोक में संबंधित परिसर को लेकर सरकारी प्राधिकारियों द्वारा किसी भी प्रकार की आपत्ति मंच के सम्मुख प्रस्तुत नहीं की गई है। हालांकि विपक्षी द्वारा अपनी आख्या के साथ ग्राम प्रधान का पत्र दिनांक 24.04.2023 संलग्न किया गया है, जो कि विशेष रूप से वाद से संबंधित परिसर को लेकर नहीं है। अतः यह माननीय् UERC के उपरोक्त विनियम पर प्रभावी नहीं है।

परिवादी द्वारा मंच को अवगत कराया गया है कि उनके उपरोक्त परिसर पर वर्तमान में उत्तराखण्ड पेयजल निगम निर्माण शाखा, देहरादून द्वारा उपभोक्ता संख्या NSRANIPOG241129 परिवादी श्री अनुज कुमार के नाम से पानी का सयोजन अवमुक्त है।

अतः उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मंच का मत है कि विपक्षी विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 43(1) के अन्तर्गत परिवादी को विद्युत संयोजन निर्गत करें। बिजली पानी परिवादी का मौलिक अधिकार है। विपक्षी माननीय् **UERC** के **Supply Code 2020** के विनियम् **3.3.2(4)(a)(i)** के प्रथम परन्तुक के अनुसार परिवादी से आवेदन कराया जाना न्यायोचित होगा।

## आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि मान्नीय **Uttarakhand Electricity Regulatory Commission** के विनियम् **UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020** के विनियम् **3.3.2(4)(a)(i)** के प्रथम परन्तुक– **"Provided that in case the Applicant is unable to submit any of the document**

**listed at a)to e) above, then the Applicant shall be charged thrice the amount of security as per Table 3.6 of Clause (11) of Sub-regulation 3.3.3. The owner of the premises, if different from the applicant, shall not be liable for payment of any dues against such connection."** के तहत् विद्युत संयोजन जारी करे। विपक्षी आदेश की अनुपालन आख्या आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर मंच में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद वय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

30/10/25

(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

30/10

(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि०क्रॉ०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 58/2025

श्रीमती रोशनी देवी पत्नी श्री उदय कुमार — परिवादी
निवासी– गुजर बस्ती, गुमानीवाला,
श्यामपुर, ऋषिकेश।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (ऋषिकेश)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांक: 03.11.2025

श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

## निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उनके विद्युत बिल संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि *"प्रार्थिनी का विद्युत बिल प्रत्येक माह करीब 1,000 रू० से 2,500 रू० के मध्य ही आता है। जुलाई में भी विद्युत बिल 1884 रू० आया था, तथा दिनांक 19.07.2025 से 20.08.2025 तक यह मासिक बिल अचानक 9,830 रू० आया है जबकि इस समय अवधि के मध्य बरसात हो रही थी जिससे पंखे, कूलर, आदि विद्युत उपकरण का प्रयोग भी काफी कम हुआ है। अतः निवेदन है कि प्रार्थिनी का मासिक विद्युत बिल को ठीक करने की कृपा कीजियेगा।"*

**Electricity Consumer Grievance Redressal Forum**
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 931, दिनांकित 18/09/2025 से मंच को निम्नवत अवगत कराया है कि *"उपभोक्ता का बिल माह 08/2025 में 21425 Kwh मीटर रीडिंग पर 1357 Unit का कुल धनराशि 9768.00 रू0 का निर्गत हुआ है। जिस पर उपभोक्ता द्वारा माननीय मंच के समक्ष वाद दायर किया गया है।*

*उपभोक्ता द्वारा माननीय मंच के समक्ष वाद संख्या 58/2025 दायर करने के उपरान्त इस कार्यालय द्वारा उपभोक्ता के परिसर पर स्थापित मीटर संख्या 84660297 Make L&T का MRI Report अनुसार उपभोक्त के मीटर की रीडिंग दिनांक 01.08.2025 को 20253 Kwh थी जिसके 20 दिन उपरान्त उपभोक्ता का बिल 21425 Kwh मीटर रीडिंग पर 1357 Unit का कुल धनराशि 9768.00 रू0 का निर्गत हुआ है। MRI Report अनुसार दिनांक 01.09.2025 में उपभोक्ता के मीटर में 21711 Kwh रीडिंग है।*

*महोदय उपभोक्ता के परिसर पर स्थापित मीटर की MRI Report अनुसार उपभोक्त का माह 08/2025 में निर्गत कुल धनराशि 9768.00 रू0 का बिल सही है।"*

विपक्षी द्वारा एक अन्य आख्या पत्रांक संख्या 974, दिनांकित 26.09.2025 से मंच को अवगत कराया है कि *"दिनांक 18.09.2025 को माननीय मंच के समक्ष वाद की सुनवायी की गयी जिसमें अवगत कराया गया कि परिवादी द्वारा स्वीकृत भार से अधिक विद्युत भार का उपभोग किया जा रहा है जिस कारण परिवादी के परिसर का स्थलीय निरीक्षण कर वास्तविक लोड की गणना कर माननीय मंच को अवगत करायें हेतु निर्देशित किया गया।*

*अतः माननीय मंच द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 19.09.2025 को परिवादी के परिसर का स्थलीय निरीक्षण कर परिसर पर स्थापित विद्युत उपकरणो के विद्युत भार की जॉच कर गणना की गयी तथा चैकिंग रिर्पोट भरी गयी जिसे संलग्न कर सूचनार्थ एव अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।"*

विपक्षी द्वारा एक अन्य आख्या पत्रांक संख्या 1075, दिनांकित 25.10.2025 से मंच को अवगत कराया है कि *"दिनांक 29.09.2025 को माननीय मंच के समक्ष वाद की सुनवायी की गयी जिसमें निर्देशित किया गया था कि परिवादी के परिसर पर चैक मीटर स्थापित कर चैक मीटर फाईनल रिपोर्ट माननीय मंच के समक्ष सुनवायी की अगली तिथि 27.10.2025 को प्रस्तुत करें।*

*जिसके अनुपालन में सहायक अभियन्ता (मी०) विद्युत परिक्षण शाला, शैल विहार ऋषिकेश, कार्यालय के कर्मचारी दिनांक 14.10.2025 को परिवादी के परिसर पर चैक मीटर स्थापित करने गये तो परिवादी द्वारा कहा गया मैं पुराने मीटर की रीडिंग से संतुष्ट हूँ तथा चैक मीटर नहीं लगवाया गया।*

*अतः सहायक अभियन्ता (मी०) विद्युत परिक्षण शाला, शैल विहार ऋषिकेश, कार्यालय द्वारा प्रेषित सीलिंग रिपोर्ट संलग्न कर सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।"*

मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध परिवादी के शिकायती पत्र के क्रम में विपक्षी ने अपनी आख्या के माध्य से मंच को अवगत कराया है कि सहायक अभियन्ता (मी०) विद्युत परिक्षण शाला, शैल विहार ऋषिकेश, कार्यालय के कर्मचारी दिनांक 14.10.2025 को परिवादी के परिसर पर चैक मीटर स्थापित करने गये तो परिवादी द्वारा कहा गया मैं पुराने मीटर की रीडिंग से संतुष्ट हूँ तथा चैक मीटर नहीं लगवाया गया। परिवादी द्वारा विपक्षी द्वारा की गई कार्यवाही पर अपनी लिखित संतुष्टी व्यक्त की गई है, जो पत्रावली में सीलिंग के रूप में शामिल है।

उपरोक्त चर्चा उपरान्त मंच इस मत का है कि परिवादी द्वारा सीलिंग प्रमाण पत्र में अपनी संतुष्टी व्यक्त किये जाने के उपरान्त उक्त परिस्थितियों में उक्त वाद आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली र
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

# आदेश

निपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने एवं परिवादी द्वारा भी विपक्षी द्वारा की गई कार्यवाही पर अपनी लिखित संतुष्टी वयक्त किये जाने के फलस्वरूप निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। *इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंन्त विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं।* पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

03/11/2025

(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

03/11

(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 57 / 2025

श्री बिपिन चन्द्र तिवारी
मै0 इनड्स टावर लिमिटेड
निवासी– नियर गुजराडा मंदिर,
सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून। — परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (रायपुर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून। — विपक्षी

कोरम — दिनांक: 21.10.2025
श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

The complainant registered the complaint requesting to get amended inflated electricity bill on account of wrong levy of low power factor surcharge.

The complainant submits and prays as under:-

*"We have permanent electric connection having account number 41500764110, 10KW connected load in the name of Indus Towers Limited at location- Sahahstdhara road, under Rural, Dehradun, Divison. Issued bill for the month of Aug-25, in which*

*concocted KVAH punched & wrongly low factor surcharge levied for the unjustified amount Rs- 1,834.42/-. We don't have any motive load connected at premise, our average power factor is always beyond 95%. We have multiple times approach to division for correction of wrongly charges PF surcharge but neither bill is corrected,nor MRI report is providing to us. Energy bills are continue generating and wrongly late payment surcharges are also claiming. Therefore, we request you to kindly register ou grievance before your kind level forum and provide us justice. Bill correction not done by the divison and new bill also generated hence no late payment surcharge need to be claim from us. Necessary compensation also need to be provide us on account of mentally harassed to us.*

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 1082, दिनांकित 12/09/2025 से मंच को निम्नलिखित तथ्यों से अवगत कराया गया है:–

"1. विद्युत संयोजन संख्या 9761303922095 के माह 08/25 के त्रुटिपूर्ण विद्युत बिल जिसमें विद्युत बिल में Low power factor की धनराशि जुडी थी जिस पर उपभोक्ता को आपत्ति है उक्त बिल को वर्तमान माह 09/2025 का बिल बनाकर संशोधित कर दिया है।

2. उपभोक्ता के उक्त संयोजन पर स्थापित मीटर की एम0आर0आई0 संलग्न है।"

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail - cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि०क्रॉ०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध परिवादी के शिकायती पत्र के क्रम में विपक्षी ने अपनी आख्या के माध्य से मंच को अवगत कराया है कि विद्युत संयोजन संख्या 9761303922095 पर लगे Power Factor Surcharge को माह 09/2025 का बिल बनाकर संशोधित कर दिया गया है।

उपरोक्त चर्चा उपरान्त मंच इस मत का है कि विपक्षी द्वारा परिवादी के विद्युत बिल संबंधी शिकायत का निवारण विद्युत बिल संशोधित कर कर दिया गया। उपरोक्त परिस्थितियों में उक्त वाद आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

## आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। *इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंन्त विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं।* पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

21/10/2025

(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

21/10/25

(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun-248001
Phone 0135-2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मं
(गढ़वाल क्षे
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 2480
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 56 / 2025

मै0 इनडस् टावर लिमिटेड — परिवादी
निवासी– निया सिद्धार्थ कॉलेज,
सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (रायपुर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांक: 21.10.2025

श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

## निर्णय

The complainant registered the complaint requesting to get amended inflated electricity bill on account of wrong levy of low power factor surcharge.

The complainant submits and prays as under:-

*"We have permanent electric connection having account No- 41900211781, 10KW connected load in the name of Indus Towers limited at location-Siddhartha Law College, under Dehradun Rural, Division.Issued bill for the month of Aug-25, in which Concocted KVAH punched & wrongly Low Power Factor surcharge levied for the unjustified amount Rs- 3,941.65/-. We don't have any motive load connected at premise, our average power factor is always beyond 95%. We have multiple times approach to division for correction of wrongly charges PF surcharge but neither bill is corrected, nor MRI report is providing to us. Energy bills are continue generating and wrongly late payment surcharges are also claiming.Therefore, we request you to kindly register our grievance before your kind level Forum and provide us justice. Bill correction not*

**Electricity Consumer Grievance Redressal Forum**
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

*done by the division and new bill also generated hence no late payment surcharge need to be claim from us. Necessary compensation also need to be provide us on account of mentally harassed to us"*

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 1017, दिनांकित 12/09/2025 से मंच को निम्नवत अवगत कराया है:–

*"1. विद्युत संयोजन संख्या 9761303415689 के माह 08/25 के त्रुटिपूर्ण विद्युत बिल जिसमें विद्युत बिल में Low Power Factor की धनराशि जुडी थी जिस पर उपभोक्ता को आपत्ति है उक्त बिल को वर्तमान माह 09/2025 का बिल बनाकर संशोधित कर दिया है। (प्रति संलग्न)*

*2. उपभोक्ता के उक्त संयोजन पर स्थापित मीटर की MRI संलग्न है।"*

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध परिवादी के शिकायत पत्र के क्रम में विपक्षी ने अपनी आख्या के माध्यम से मंच को अवगत कराया है कि विद्युत संयोजन संख्या 9761303415689 पर लगे Power Factor Surcharge को माह 09/2025 का बिल बनाकर संशोधित कर दिया गया है

उपरोक्त चर्चा उपरान्त मंच इस मत का है कि विपक्षी द्वारा परिवादी के विद्युत बिल संबंधी शिकायत का निवारण विद्युत बिल संशोधित कर कर दिया गया। उपरोक्त परिस्थितियों में उक्त वाद आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

## आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। *इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंन्त विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं।* पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

21/10/2025
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

21/10/25
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun-248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रं
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 55/2025

मै0 इनडस् टावर लिमिटेड
निवासी– 251 टी.एच.डी.सी.
बंजारावाला, देहरादून।

परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (दक्षिण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

विपक्षी

कोरम

दिनांक: 21.10.2025

श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

## निर्णय

The complainant registered the complaint requesting to get amended inflated electricity bill on account of wrong levy of low power factor surcharge.

The complainant submits and prays as under:-

*"We have permanent electric connection having account No- 40116886857, 22KW connected load in the name of Indus Towers limited at location BANJARAWALA under DEHRADUN SOUTH, Division. Issued bill for the month of Jun-25, in which Concocted KVAH punched & wrongly Low Power Factor surcharge levied for the unjustified amount Rs-4,512.05/-. We don't have any motive load connected at premise, our average power factor is always beyond 95%. We have multiple times approach to division for correction of wrongly charges PF surcharge but neither bill is corrected, nor MRI report is providing to us. Energy bills are continue generating and wrongly late payment surcharges are also claiming.*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायतं निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

*Therefore, we request you to kindly register our grievance before your kind level Forum and provide us justice. Bill correction not done by the division and new bill also generated hence no late payment surcharge need to be claim from us. Necessary compensation also need to be provide us on account of mentally harassed to us.*"

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 2120, दिनांकित 12/09/2025 से मंच को अवगत कराया है कि उपभोक्ता के संयोजन सं० *SD0K000018203* पर लगे *Power Factor surcharge* को माह अगस्त 2025 के बिल में समायोजित कर दिया गया है।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध परिवादी व शिकायती पत्र के क्रम में विपक्षी ने अपनी आख्या के माध्यम से मंच को अवगत कराया है कि विद्युत संयोजन संख्या SD0K000018203 पर लगे Power Factor Surcharge को माह अगस्त 2025 के बिल में समायोजित कर दिया गया है।

उपरोक्त चर्चा उपरान्त मंच इस मत का है कि विपक्षी द्वारा परिवादी के विद्युत बिल संबंधी शिकायत का निवारण विद्युत बिल संशोधित कर कर दिया गया। उपरोक्त परिस्थितियों में उक्त वाद आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

## आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। *इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर विद्युत लोकपाल, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं।*

पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

21/10/2025
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

21/10/25
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

**Electricity Consumer Grievance Redressal Forum**
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

## परिवाद सं0 54 / 2025

मै0 इनडस् टावर लिमिटेड
निवासी– ईस्ट होप टाऊन,
रतनपुर, देहरादून। — परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (रायपुर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून। — विपक्षी

कोरम — दिनांक: 21.10.2025

श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

## निर्णय

*The complainant registered the complaint requesting to get amended inflated electricity bill on account of wrong levy of low power factor surcharge.*

*The complainant submits and prays as under:-*

*"We have permanent electric connection having account No- 42300131268, 08KW connected load in the name of Indus Towers limited at location- Arya Nagar3. under Dehradun Rural, Division.Issued bill for the month of Aug-25. in which Concocted KVAH punched & wrongly Low Power Factor surcharge levied for the unjustified amount Rs- 6,516.97/-. We don't have any motive load connected at premise, our average power factor is always beyond 95%. We have multiple times approach to division for correction of wrongly charges PF surcharge but neither bill is corrected, nor MRI report is providing to us.*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135-2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
(गढ़वाल
वि०क्नॉ०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवर्ली
देहरादून – 248
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276
ई–मेल cgrfgz@gmail.co

*Energy bills are continue generating and wrongly late payment surcharges are a claiming. Therefore, we request you to kindly register our grievance before your kind level Forı and provide us justice. Bill correction not done by the division and new bill also generated hence late payment surcharge need to be claim from us. Necessary compensation also need to be provide on account of mentally harassed to us."*

**उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 1083, दिनांकित 12/09/2025 से मंच को निम्नवत अवगत कराया है:–**

*"1. विद्युत संयोजन संख्या 9761303415689 के माह 08/25 के त्रुटिपूर्ण विद्युत बिल जिसमें विद्युत बिल में Low Power Factor की धनराशि जुड़ी थी जिस पर उपभोक्ता को आपत्ति है उक्त बिल को वर्तमान माह 09/2025 का बिल बनाकर संशोधित कर दिया है।*

*2. उपभोक्ता के उक्त संयोजन पर स्थापित मीटर की MRI संलग्न है।"*

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध परिवादी के शिकाय पत्र के क्रम में विपक्षी ने अपनी आख्या के माध्यम से मंच को अवगत कराया है कि विद्युत संयोजन सं 9761302838837 पर लगे Power Factor Surcharge को माह 09/2025 का बिल बनाकर संशोधित कर दिया गया

उपरोक्त चर्चा उपरान्त मंच इस मत का है कि विपक्षी द्वारा परिवादी के विद्युत बिल संबंधी शिकायत का निवा विद्युत बिल संशोधित कर कर दिया गया। उपरोक्त परिस्थितियों में उक्त वाद आगे चलाने का कोई औचित्य ीं जाता है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

## आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। *इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

*आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंन्त विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं।*

पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

21/10/2025

(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

21/10/25

(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

**Electricity Consumer Grievance Redressal Forum**
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 53/2025

मै0 इनडस् टावर लिमिटेड
निवासी– 247 बेल रोड,
सुभाष नगर, देहरादून। — परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (दक्षिण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून। — विपक्षी

कोरम — दिनांक: 16.10.2025

श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

## निर्णय

The complainant registered the complaint requesting to get amended inflated electricity bill on account of wrong levy of low power factor surcharge.

The complainant submits and prays as under:-

*"We have permanent electric connection having account No- 40109929885, 25KW connected load in the name of Indus Towers limited at location- Subhash Nagar2, under Dehradun South, Division.Issued bill for the month of Jul-25, in which Concocted KVAH punched & wrongly Low Power Factor surcharge levied for the unjustified amount Rs- 3,451.07/-We don't have any motive load connected at premise, our average power factor is always beyond 95%. We have multiple times approach to division for correction of wrongly charges PF surcharge but neither bill is corrected, nor MRI report is providing to us. Energy bills are continue generating and wrongly late payment surcharges are also claiming. Therefore, we request you to kindly register our grievance before your kind level Forum and provide us justice. Bill correction not done*

*by the division and new bill also generated hence no late payment surcharge need to be claim from us. Necessary compensation also need to be provide us on account of mentally harassed to us."*

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 2121, दिनांकित 12/09/2025 से मंच को अवगत कराया है कि उपभोक्ता के संयोजन सं० SD0K000015240, पर लगे Power Factor Surcharge को माह सितम्बर 2025 के बिल में समायोजित कर दिया गया है।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध परिवादी के शिकायती के क्रम में विपक्षी ने अपनी आख्या के माध्यम से मंच को अवगत कराया है कि विद्युत संयोजन संख्या SD0K0000152 पर लगे Power Factor Surcharge को माह सितम्बर 2025 के बिल में समायोजित कर दिया गया है।

उपरोक्त चर्चा उपरान्त मंच इस मत का है कि विपक्षी द्वारा परिवादी के विद्युत बिल संबंधी शिकायत का निवारण वि बिल संशोधित कर कर दिया गया। उपरोक्त परिरिथितियों में उक्त वाद आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

## आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। *इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंन्त विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं।* पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

16/10/2025
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

16/10
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

**Electricity Consumer Grievance Redressal Forum**
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 52 / 2025

मै0 इनडस् टावर लिमिटेड
निवासी– ईस्ट होप टाऊन,
रतनपुर, देहरादून।

परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (मोहनपुर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

विपक्षी

कोरम

दिनांक: 21.10.2025

श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

## निर्णय

*The complainant registered the complaint requesting to get amended inflated electricity bill on account of wrong levy of excess demand charges.*

*The complainant submits and prays as under:-*

*"We have permanent electric connection having account No- 41500763904, 22 KW connected load in the name of Indus Towers limited at location Ratanpur under Edd Mohanpur Division. Issued bill for the month of Jun-25 in which abnormal maximum demand for 2,348.1 KW shown & wrongly excess demand charge levied for the unjustified amount Rs -12,276/- Our connected load was never exceed beyond the connected load. We have multiple times approach to division for correction of wrongly excess demand charge but neither bill is corrected, nor MRI report is providing to us. Energy bills are continue generating and wrongly late payment surcharges are also claiming.*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
(गढ़वाल
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 248
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767
ई–मेल cgrfgz@gmail.co

*Therefore, we request you to kindly register our grievance before your kind level forum and provide justice. Bill correction not done by the division and new bill also generate hence no late payment surchar need to be claim from us. Necessary compensation also need to be provide us as we are mentally harass by the Discom*

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 12870, दिनांकित 20/09/2025 से मंच को अव कराया है कि:–

*"उपभोक्ता के बीजक का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि उपभोक्ता के मीटर में असामान्य रूप से अ Demand दर्शित हुई। इस पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए उपभोक्ता का मीटर तत्काल बदल दिया गया है (मी. सीलिंग रिपोर्ट संलग्न) साथ ही, उपभोक्ता के पत्र में वर्णित माह मई 2025 के बीजक में अंकित Fixed Charges नियमानुसार संशोधित कर दिया गया है प्रमाण हेतु Consumer Ledger Details."*

**मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।** पत्रावली में उपलब्ध परिवादी के शिकार पत्र के क्रम में विपक्षी ने अपनी आख्या के माध्यम से मंच को अवगत कराया है कि विद्युत संयोजन सं MP0k000218185 में माह मई में 2025 के बीजक में अंकित फिक्स चार्ज को नियामानुसार संशोधित कर दिया गया है उपरोक्त चर्चा उपरान्त मंच इस मत का है कि विपक्षी द्वारा परिवादी के विद्युत बिल संबंधी शिकायत का निवारण वि बिल संशोधित कर कर दिया गया। उपरोक्त परिस्थितियों मे उक्त वाद आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

## आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। ***इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आ प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंन्त विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं।*** पत्रावली दाखि दफ्तर हो।

21/10/2025

(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

(रजनीश माथुर) 21/10/25
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली र
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 51/2025

मै० इनडस् टावर लिमिटेड — परिवादी
निवासी– पो० ओ० – प्रेमनगर
बनियावाला गोरखपुर,
देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (मोहनपुर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांक: 21.10.2025

श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

## निर्णय

*The complainant registered the complaint requesting to get amended inflated electricity bill on account of wrong levy of excess demand charges.*

*The complainant submits and prays as under:-*

*"We have permanent electric connection having account No- 42400597590, 05 KW connected loa in the name of Indus Towers limited at location Shahpur under Edd Mohanpur Division.*

*Issued bill for the month of Jul-25 in which abnormal maximum demand for 26 KW shown & wrongly excess demand charge levied for the unjustified amount Rs 4,620/-*

*Our connected load was never exceed beyond the connected load. We have multiple times approac to division for correction of wrongly excess demand charge but neither bill is corrected, nor MR. report is providing to us.*

*Energy bills are continue generating and wrongly late payment surcharges are also claiming.*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भुवन, कॉवली रो
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

*Therefore, we request you to kindly register our grievance before your kind level forum and provide us justice. Bill correction not done by the division and new bill also generate hence no late payment surcharge need to be claim from us. Necessary compensation also need to be provide us as we are mentally harassed by the Discom."*

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 5369, दिनांकित 12/09/2025 से मंच को निम्नवत अवगत करवाना है:–

*"1. उपभोक्ता मै० इनडस् टावर लिमिटेड को दिनांक 15.07.2025 को निर्गत विद्युत बिल उनके द्वारा उपभोग का गई वास्तविक रीडिंग के आधार पर ही निर्गत किया गया है (पुष्टि हेतु रीडिंग सहित मापक की छायाप्रति संलग्न)।*

*2. दिनांक 15.07.2025 को मीटर रीडर द्वारा विद्युत बिल निर्गत करते समय मापक में 26 MD(डिमांड) प्रदर्शित हो रही थी, जिसके आधार पर ही डिमांड अंकित की गई है (पुष्टि हेतु डिमांड सहित मापक की छायाप्रति संलग्न)।*

*3. उपभोक्ता के आग्रह पर वर्तमान में पुराने मापक को बदलकर नया मापक स्थापित कर दिया गया है।*

*4. पुराना मापक संख्या 331626 की MRI करने का प्रयास किया गया, परन्तु MRI नहीं हो पाई, जिसके कारण MRI रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जा सकती है।*

*5. उक्त संयोजन पर वर्तमान में स्थापित मापक सख्या G7918252 की वर्तमान रीडिंग 3666 KWH एवं MD 7.14 प्रदर्शित हो रही हैं।"*

विपक्षी द्वारा एक अन्य आख्या पत्रांक संख्या 5498, दिनांकित 10.10.2025 से मंच को अवगत कराया है कि:–

*"उपभोक्ता के विद्युत संयोजन संख्या MP62104367733 के सापेक्ष धरातल पर लगे मापक संख्या 331626 में माह जुलाई 2025 के विद्युत बिल में अतिरिक्त Demand 26 MD दर्शाये जाने के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत किया गया था, जिसका अवलोकन करने पर पाया गया कि मीटर में तकनीकी खराबी होने के कारण डिमांड अत्यधिक प्रदर्शित हो रही थी। पुष्टि हेतु मीटर की MRI करने का प्रयार किया गया, परन्तु MRI नहीं हो पायी एवं मीटर संख्या 331626 को परिवर्तित कर उसके स्थान पर नयें मीटर संख्या G7918252 को स्थापित कर दिया गया है। जिसके वर्तमान विद्युत बिल के आधार पर डिमांड 7.14 प्रदर्शित हो रही है, जिसको आधार मानते हुए उपभोक्ता के विद्युत बिल से अतिरिक्त डिमांड अधिक्य धनराशि 4620.00 रू० को संशोधित कर दिया गया है।"*

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध परिवादी के शिकाय पत्र के क्रम में विपक्षी ने अपनी आख्या के माध्यम से मंच को अवगत कराया है कि विद्युत संयोजन सं

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail - cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल - cgrfgz@gmail.com

MP62104367733 में वर्तमान विद्युत बिल में प्रदर्शित 7.14KW डिमांड के आधार पर परिवादी के विद्युत बिल से अतिरिक्त डिमांड धनराशि 4620.00 रू0 को संशोधित कर दिया गया है।

उपरोक्त चर्चा उपरान्त मंच इस मत का है कि विपक्षी द्वारा परिवादी के विद्युत बिल संबंधी शिकायत का निवारण विद्युत बिल संशोधित कर कर दिया गया। उपरोक्त परिस्थितियों में उक्त वाद आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

## आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। *इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं।* पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

21/10/2025

(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य
21/10/25

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135-2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail - cgrfgzd@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्षे0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई-मेल cgrfgz@gmail.com

## परिवाद सं0 30/2025

श्री मुनिराज राजौरा पुत्र श्री बलराम सिंह
निवासी– अमित ग्राम, गुमानी वाला गली नं0 10,
ऋषिकेश। — परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (डोईवाला)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून। — विपक्षी

कोरम — दिनांक: 30.10.2025

श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

## निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उनके परिसर पर बिना अनकी अनुमति के विपक्षी द्वारा श्रीमती एकता नागपाल पत्नी करण लांबा निवासी–92/2–1, गंगा विहार हरिद्वार रोड, देहरादून को निर्गत विद्युत संयोजन को निरस्त कर हटाए जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

*"परिवादी का कथन है कि –*

*1 यह भूमि राजस्व अभिलेखों में खाता संख्या 213 खसरा संख्या 871 (रकबा 24.71 वर्ग मीटर) के अंतर्गत है जिसका 2015 से मैं मालिक और काबिज चला आ रहा हूँ। मूल खातेदार के मरणोपरात क्रमश मैं ही पक्षातवर्ती हित धारक हूँ।*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135-2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
(गढ़वाल
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवर्ली
देहरादून – 24
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276
ई–मेल cgrfgz@gmail.c

2. यह कि इस प्रकार से मेरी बिना अनुमति या बिना शपथ पत्र के किसी अन्य व्यक्ति को विद्युत संयोजन नहीं दिया जा सकता है।

3. यह कि उक्त भूखंड से सम्बन्धित वाद सख्या 01/2025 सी.आर.पी.सी. की धारा–145 के अंतर्गत उप विभागीय मजिस्ट्रेट डोईवाला के न्यायलय में केस लंबित है।

4. यह कि एकता नागपाल द्वारा लगाए गये इस विद्युत संयोजन से मुझे घोर आपत्ति है। अतः इस संबंध में तुरंत कार्यवाही करते हुए इस विद्युत संयोजन को निरस्त कर मीटर को हटा दिया जाना जरूरी है।

5. यह कि उक्त संयोजन का कोई उपयोग नही हो रहा है।

अतः महोदय से निवेदन है कि इसमें त्वरित कार्यवाही करते हुए संयोजन को निरस्त कर मीटर को हटा दिया जाए।

उपरोक्त के सान्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 1711, दिनांकित 29/07/2025 से मंच को अवगत कराया गया है कि "श्री मुनिराज रजौरा निवासी, गली नं0 10 अमित ग्राम, गुमानीवाला ऋषिकेश द्वारा वाद सन्दर्भित अस्थाई संयोजन संख्या DW29999420503, श्रीमती एकता नागपाल पत्नी श्री करन लांबा के नाम पर विद्युत वितरण उपखण्ड डोईवाला के अन्तर्गत नुन्नावाला निकट शिव मन्दिर भानियावाला में निर्गत किया गया है। उक्त विद्युत सयोजन हेतु श्रीमती एकता नागपाल पत्नी श्री करन लांबा द्वारा दिनांक 27.05.2025 को उपखण्ड कार्यालय डोईवाला में नये अस्थाई विद्युत संयोजन हेतु आवेदन पत्र भरकर जमा कराया गया। आवेदन प्रपत्र के साथ स्वामित्व हेतु भूमि की रजिस्ट्री की प्रतिलिपि व आधार कार्ड की प्रतिलिपि उपलब्ध कराई गयी है। माननीय विद्युत आयोग उत्तराखण्ड सरकार द्वारा जारी UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connection and Related Matters) Regulations, 2020 में वर्णित बिन्दु संख्या 3.2.2 के अन्तर्गत दिए निर्देशों का पालन करते हुए दिनांक 31.05.2025 को उक्त अस्थाई विद्युत संयोजन निर्गत किया गया है। आपको

2 |

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

*भी अवगत कराना है कि उक्त भूखण्ड पर कोई वाद 'उप–विभागीय मजिस्ट्रेट डोईवाला के न्यायलय में लंबित है अथवा नही के सम्बन्ध मे कोई जानकारी विभाग के संज्ञान में नहीं है व न ही उप–विभागीय मजिस्ट्रेट डोईवाला के न्यायलय से कोई पत्राचार है।"*

**मंच द्वारा उभय पक्षों एवं तृतीय पक्ष को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।** पत्रावली पर उपलब्ध परिवादी के शिकायती पत्र से स्पष्ट है कि परिवादी की मूल शिकातय है कि परिवादी खाता सख्या 213 खसरा सख्या 871 (रकबा 245.71 वर्ग मीटर) के अंतर्गत श्रीमती एकता नागपाल के नाम से जारी विद्युत संयोजन से उन्हे घोर आपत्ति है, जिस कारण उनके द्वारा उक्त विद्युत संयोजन को विच्छेदित कराये जाने के संबंध में उक्त वाद दर्ज कराया गया है।

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत के क्रम में अपनी आख्या पत्रांक संख्या 1711 दिनांकित 29.07.2025 के द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त विद्युत संयोजन हेतु श्रीमती एकता नागपाल पत्नी श्री करन लांबा द्वारा दिनांक 27.05.2025 को उपखण्ड कार्यालय डोईवाला में नये अस्थाई विद्युत संयोजन हेतु आवेदन पत्र भरकर जमा कराया गया। आवेदन प्रपत्र के साथ भूमि स्वामित्व हेतु भूमि की रजिस्ट्री की प्रतिलिपि व आधार कार्ड की प्रतिलिपि उपलब्ध कराई गयी है। पत्रावली पर उलब्ध तृतीय पक्ष द्वारा प्रस्तुत न्यायालय सिविल जज, (सी0डि), देहरादून मूलवाद संख्या–329/2025 श्री मुनिराज राजौरा बनाम श्री मनमोहन लाम्ब व अन्य दिनांक 22.09.2025 के आदेश के बिन्दु संख्या 27 एवं 28 का मंच द्वारा अध्ययन किया गया जो निम्वत् है:–

"27. *अतः उपरोक्त विधिक प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि कृषि भूमि के सम्बन्ध में स्वामित्व की उद्घोषणा की बाबत वाद तथा कब्जे का वाद इस न्यायालय में दायर नहीं किया जा सकता है, जबकि कृषि भूमि होने के सम्बन्ध मे विवाद का निस्तारण सक्षम राजस्व न्यायालय द्वारा ही किया जायेगा।*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135-2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
(गढ़वाल
वि0क्षे0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कांवली
देहरादून – 248
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767
ई–मेल cgrfgz@gmail.co

*28. उपरोक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत यह स्पष्ट है कि वादी द्वारा वादपत्र में दर्शित वादग्रस्त भूमि, कृषि भूमि होना दर्शित होता है तथा वादी के द्वारा न्यायालय से स्वामित्व की उद्घोषण, आज्ञापक व्यादेश एवं स्थाई व्यादेश का अनुतोष चाहा गया है तथा वादी के द्वारा स्वयं ही प्रस्तुत वादपत्र के कथनों से यह दर्शित होता है कि वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में वादी एवं प्रतिवादी के मध्य स्वामित्व की उद्घोषणा का विवाद है, जिसका विचारण इस न्यायाल के द्वारा न हीं किया जा सकता है तथा सम्बन्धित राजस्व न्यायालय के द्वारा ही किया जा सकता है। अतः वादी का वाद आदेश 7 नियम 11(घ)सी0पी0सी0 से बाधित होना दर्शित होता है।"*

माननीय् सिविल जज, (सी0डि) देहरादून के उपरोक्त बिंदु से स्पष्ट है कि वर्तमान में उक्त संपत्ति स्वामित्व का मामला वादग्रस्त है, ऐसी स्थिति में माननीय् उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के उक्त विनियम ***UERC (The Electricity Suplly Code, Release of New Connections and Related and Related Matters) Regulations, 2020*** के *Chapter 6 : **Disconnection & Reconnection*** में विद्युत कनेक्शन के विच्छेदन संबंधी उल्लेख है, जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विभाग द्वारा किसी भी उपभोक्ता का कनेक्शन विद्युत बिल का भुगतान ना करने अथवा उपभोक्ता के लिखित आवेदन पर ही विच्छेदित किया जा सकता है। अन्य किसी भी व्यक्ति की इच्छा मात्र पर किसी अध्यासी के नाम जारी किये गये संयोजन को काटने का कोई अधिकार उक्त रेगुलेशन में विद्युत विभाग को नहीं दिया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में परिवादी द्वारा अपने विद्युत संयोजन को विच्छेदन करने हेतु कोई आवेदन भी विभाग में नही किया गया है, ऐसी दशा में विद्युत विभाग द्वारा पूर्व मे निर्गत परिवादी के उक्त संयोजन को विच्छेदित करने अथवा विच्छेदित करने की धमकी देने का कोई अधिकार वर्तमान परिस्थितियों में नहीं है। इस परिस्थिति में उक्त वाद आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता हैं। अतः वाद खारिज किये जाने योग्य है।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

## आदेश

प्रस्तुत वाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। *इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर विद्युत औम्बड्समैन 80, बसंन्त विहार, देहरादून मे अपील कर सकते हैं।* पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(दीपक फरस्वाण) 30/10/25
उपभोक्ता सदस्य

(रजनीश माथुर) 30/10/25
तकनीकी सदस्य